

६ राम अरुण शर्मा पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री लक्ष्मी शर्मा

उम्र 54 वर्ष 2020 धारित पद वार्ड 4 वरुण

प्रखण्ड महुआ जिला मैथिल

भरे/भरे पति/पत्नी और अधिकारों के सम्पत्ति (अचल, चल, बैंक बिलेस, आदि) के धीरा अधोलिखित है-

(क) चल सम्पत्ति का विवरण :-

(संयुक्त स्वाधित्य की सीमा को इंगित करने वाले संयुक्त नाम को सम्पत्ति नी दी जानी चाहिए।)

क्र०	विवरण	स्वयं	पत्नी	अभित -1	अभित-2	अभित-3
I.	नगद	500 -	1000 -	-	-	-
II.	बैंको, वित्तीय संस्थानों और बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में जमा	500 -	1500 -	-	-	-
III.	बॉन्ड, डिबेंचर, कंपनियों में शेयर	-	-	-	-	-
IV.	अन्य वित्तीय संस्थान, एन.एस.एस, डाक बचत, एल.आई.सी, पॉलिसी, आदि।	-	-	-	-	-
V.	मोटर वाहन, आदि।	-	-	-	-	-
VI.	आभूषण(वजन एवं वर्तमान मूल्य का विवरण दे।)	-	आई-1000 सीमा-75000	-	-	-
VII.	अन्य सम्पत्तियों, जैसे कि दावों। हितों का मूल्य	-	-	-	-	-

नोट:- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज में नवीनतम बाजार मूल्य के अनुसार बॉन्ड / शेयर / डिबेंचर्स का मूल्य और सूचीबद्ध के मामलों में पुस्तकों के अनुसार दी जानी चाहिए।

निर्भर का अर्थ यह है की प्रतिनिधी को आय पर पर्याप्त रूप से निर्भर व्यक्ति है।

(संयुक्त स्वामित्व की सीमा को इंगित करने वाले संयुक्त स्वामित्व को भी दिया जाना चाहिए)।

क्र०	विवरण	स्वयं	पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
I.	कृषि भूमि-स्थान (स्थानों) सर्व संख्या-विस्तार (कुल भाप) वर्तमान बाजार मूल्य	01-डिसिबिल 1,50,000	—	—	—	—
II.	गैर कृषि भूमि-स्थान (स्थानों) सर्व संख्या विस्तार (कुल भाप)-वर्तमान बाजार मूल्य	—	—	—	—	—
III.	भवन(घर/फ्लैट/ऑफिस) / आवासीय स्थान(स्थानों) सर्व संख्या मकान सं०- विस्तार (कुल भाप)वर्तमान बाजार मूल्य	—	—	—	—	—
IV.	मकान / अपार्टमेंट आदि। स्थान (स्थानों)सर्व संख्या मकान संख्या- विस्तार (कुल भाप)वर्तमान बाजार मूल्य	—	—	—	—	—
V.	अन्य(जैसे सम्पत्ति में रुचि)	—	—	—	—	—

2 में यहाँ सार्वजनिक देनदारियों और सरकारी गठायक राशि के लिए अपनी देनदारियों/अतिदेय के खीरे नीचे देना है-

क्र०	विवरण	वित्तीय से स्थानों बैंक/विभाग (विभागों) का नाम एवं पता	राशि बिनांक / / तक
I.	बैंकों से ऋण		
II.	वित्तीय संस्थानों से ऋण		
III.	सरकारी देय राशि (क) सरकारी आवास से निपटने वाले विभागों का बकाया। (ख)पानी की आपूर्ति से निपटने वाले विभागों का बकाया। (ग)बिजली की आपूर्ति से निपटने वाले विभागों का बकाया। (घ)टेलीफोन / मोबाइल से निपटने वाले विभागों का बकाया। (ङ)सरकारी परिवहन से निपटने वाले विभागों का बकाया।		
	(ख) (i) अधिभार रहित आयकर (निर्धारित वर्ष अंकित करें जिस पर आयकर रिटर्न दाखिल किया गया है। स्थायी खाता सं० (PAN) भी दें।		
	(ii) धन कर (निर्धारित वर्ष जिस सम्पत्ति पर रिटर्न दाखिल किया गया है)		
	(III) विव्री कर (केवल भातिकाणा व्यवसाय के मामले में)		
	(IV) सम्पत्ति कर		

